



आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
28-02-2024	<p style="text-align: center;"><u>वाद सं०-04 / 2024</u></p> <p>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्रीमती सरीता देवी, ग्राम+पो०+पं०-चपरी, प्र०-ठाकुरगंगटी, गोड्डा टेलीफोन के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा अनुपस्थित।</p> <p>आयोग ने 30.01.2024 की सुनवाई में शिकायतकर्ता को निदेश दिया था कि वो जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन पर अपना पक्ष रखें। लेकिन आज शिकायतकर्ता ने टेलीफोन के माध्यम से आयोग को ये बताया कि वो बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं हैं। वो अपने शिक्षित भाई की मदद लेकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन पर अपना पक्ष रखेंगे। ऐसे में आयोग न्यायहित में शिकायतकर्ता को अपना पक्ष रखने का एक और अवसर दे रहा है।</p> <p>मामले की अगली सुनवाई दिनांक-11.03.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक-11.03.2024 को रखें।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"><div style="text-align: center;"><p>(शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p></div><div style="text-align: center;"><p>(हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p></div></div>	